Krishi Kumbh
Www.KrishiKumbh.Com
कृषि कुंभ
E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 04 भाग 01, (जुन, 2024)
पृष्ठ संख्या 32–36

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि–उद्यमिता की भूमिका

सौम्या महापात्र
आईसीएआर–सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट–हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,
लुधियाना, पंजाब–141004, भारत।

Email Id: –soumyaasubhashree96@gmail.com

परिचय

किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्यमियों की अहम भूमिका होती है। उद्यमियों के पास नए विचार और कौशल होते हैं और वे अपने व्यवसाय को लाभदायक बनाने के लिए सही निर्णय भी लेते हैं। भारत में उद्यमियों ने कई लोगों के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम की है। भारत में महिलाएं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें भारतीय कृषि समाज की रीढ़ माना जाता है। पारिवारिक संतुलन की अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ का सामना करने के अलावा, उद्यमशीलता की संभावना और संसाधनों पर नियंत्रण करके आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए महिलाओं ने खुद को न्यायसंगत साबित किया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (डवैच्) ने दिखाया कि भारत में कुल उद्यमिता का लगभग 14: महिलाएं हैं। वैश्वीकरण, डिजिटलीकरण और स्टार्ट–अप के इस स्वर्ण युग में भारत स्पष्ट रूप से महिला उद्यमियों के मामले में एक क्रांति देख रहा है। आज की महिला उद्यमी केवल स्थापित व्यावसायिक परिवारों से या उच्च आय वर्ग से नहीं आते हैं, वे देश के सभी हिस्सों से आते हैं। वे एक नया उद्यम शुरू करने की संभावनाएं तलाशते हैंय जोखिम उठाते हैं, व्यवसाय का प्रशासन और प्रबंधन करते हैं और व्यवसाय के सभी पहलुओं में प्रभावी नेतृत्व लेते हैं। इसलिए, भारतीय महिलाओं में उद्यमशीलता का उत्साह बढ़ाने के लिए कई उद्यमशीलता सहायता प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं। ये सहायता कार्यक्रम भारत में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और काम के अवसर प्रदान कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (डैडम्) भारत में आर्थिक विकास और प्रगति का एक मजबूत आधार प्रदान कर रहे हैं। वे दुनिया भर में विशाल व्यवसाय के योगदान में समर्थन कर रहे हैं। इन डैडम् के कारण भारत के आर्थिक विकास और प्रगति में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। इसलिए, यह अध्याय महिला उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में उद्यमिता की स्थिति, उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। भारत की महिलाओं के रूप में ग्रामीण

क्षेत्रों की महिलाएं पर विशेष ध्यान दिया गया है क्यों की वे भारत में श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा है। देश का आर्थिक विकास के लिए विभिन्न माध्यमों से उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आजकल अधिक से अधिक महिलाएँ उद्यमी के रूप में उभरने का विकल्प चुन रही हैं। उद्यमियों के रूप में महिलाओं की उपस्थिति एवं योगदान व्यवसायों की संभावनाओं को बदल दिया है। महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसाय अब समग्र समाज के आर्थिक विकास को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महिला उद्यमी को अगर ठीक से सशक्त किया जाए तो वे बहुत कुशल और प्रभावी प्रतिनिधि और योगदानकर्ता के रूप में सामने आ सकती हैं और वैश्विक स्तर पर बेहतर जीवनशैली, बेहतर समाज और मजबूत अर्थव्यवस्था बना सकते हैं।

भारत में महिला उद्यमियों की स्थिति

भारत एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश है और उद्यमशीलता के भी कई रूप हैं जिनमें महिलाएं शामिल हैं। माइक्रोफाइनेंस की उपलब्धता ने महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता में सुधार किया है और महिलाओं के स्वामित्व वाले 98 प्रतिशत व्यवसाय सूक्ष्म उद्यम हैं, जहां लगभग 90 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। शिक्षा में असमानता महिला उद्यमिता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, और अपेक्षाकृत उच्च साक्षरता वाले राज्यों में अधिक महिला उद्यमी हैं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र महिला उद्यमियों के उच्चतम प्रतिशत वाले शीर्ष पांच राज्य हैं। छठी आर्थिक जनगणना (2014–15) के अनुसार, 58. 5 मिलियन व्यवसायों में से 8.05 मिलियन का स्वामित्व महिलाओं के पास था, अर्थ।त भारत में उद्यमियों की कुल संख्या में 13.76 प्रतिशत महिलाएँ हैं। उच्च आर्थिक विकास और कामकाजी उम्र की महिलाओं के अनुपात में वृद्धि के बावजूद कार्यबल में भागीदारी 35 प्रतिशत (2005) से घटकर 26 प्रतिशत (2018) हो गया है। यह महिला समूह को बिजनेस लीडर, उद्यमी, पेशेवर और तकनीकी कर्मचारी बनने के लिए हतोत्साहित करता है। भारत में महिला उद्यमी अक्सर सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, भोजन और पोषण, शिक्षा, महिला स्वच्छता, प्रबंधन और मानव सेवाएँ और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में सक्रिय रहती हैं।

भारत में महिला उद्यमियों के लिए प्रमुख चुनौतियों में वित्तीय सहायता, पारिवारिक बाधाएँ, व्यावसायिक कौशल में आत्मविश्वास की कमी और बाजार की उपलब्धता आदि शामिल है। महिला उद्यमिता का विकास में समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयोंधविभागों ने अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जैसेय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्ट–अप इंडिया और डैडम मंत्रालय द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सहित उद्यम सखी पोर्टल आदि आरंभ किया है। स्टार्ट–अप इंडिया का लक्ष्य देश में नवाचार और स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इको–सिस्टम बनाना है, जिसके तहत कुल निधि के 10: महिलाओं के स्टार्ट–अप के लिए आरक्षित किया गया है।

"उद्यम सखी" नेटवर्क भारत की उभरती महिला उद्यमियों के लिए समर्थन प्राप्त करने का और उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक मंच है।

महिला उद्यमियों के लिए सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम

महिला उद्यमियों के लिए सरकारी निकायों और सहयोगी संस्थान द्वारा कार्यान्वित कुछ विशेष योजनाएँ

नीचे दिए गए हैं।

1. **अन्नपूर्णा योजना**: यह ऋण खाद्य उद्योग में लघु व्यवसाय स्थापित करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत ऋण सीमा ₹ 50,000 है। यह ऋण महिला उद्यमियों को उपकरण खरीदने और खाद्य ट्रक स्थापित करने जैसी पूंजी आवश्यकताओं का लाभ उठाने की अनुमति देता है।
2. **भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण**: यह लोन उन महिलाओं के लिए है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थीं। इसने महिला उद्यमियों को विनिर्माण उद्यमों के लिए 10.15: और अधिक ब्याज पर 20 करोड़ तक के व्यवसाय ऋण की पेशकश की। इस बैंक ऋण योजना के तहत ऋण सात साल में चुकाना होता है।
3. **मुद्रा योजना**: यह योजना प्रधान योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाती है। जो उन महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो अपना खुद का छोटा व्यवसाय जैसे डे केयर, ब्यूटी सैलून, ट्यूशन, टेलरिंग यूनिट आदि शुरू करना चाहती हैं। इस योजना के तहत 50,000 रुपये से 50 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। 10 लाख रुपये से कम के ऋण के लिए संपार्श्विक और गारंटर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी तीन योजनाएं हैं–
   - **शिशु** – नए व्यवसायों के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण 1: प्रति माह ब्याज पर प्रदान करता है और पुनर्भुगतान अवधि 5 वर्ष है।
   - **किशोर** – अच्छी तरह से स्थापित व्यवसायों के लिए 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है। ब्याज योजना दिशानिर्देश, आवेदकों का क्रेडिट इतिहास और बैंक पर निर्भर करता है।
   - **तरूण** – व्यवसाय विस्तार के लिए 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है। ब्याज योजना दिशानिर्देश, आवेदकों का क्रेडिट इतिहास और बैंक पर निर्भर करता है।
4. **स्त्री शक्ति पैकेज**: जिन महिलाओं के पास किसी फर्म या व्यवसाय के स्वामित्व में 50: हिस्सेदारी है और उन्होंने राज्य एजेंसियों द्वारा संचालित उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) में भाग लिया है, वे इस पैकेज के लिए पात्र हैं। यह योजना ऋण की राशि 2

लाख से अधिक है तो 0.5: की रियायती ब्याज दर भी प्रदान करता है।

5. **देना शक्ति योजना:** जिन महिला उद्यमियों का कृषि और संबद्ध गतिविधियों, खुदरा व्यापार, सूक्ष्म ऋण, शिक्षा, आवास और खुदरा और लघु व्यवसाय उद्यमों के क्षेत्र मैं संबंधित है, यह योजना देना बैंक द्वारा उन को में प्रदान की जाती है। ब्याज दर पर 0. 25: की रियायत है। योजना खुदरा व्यापार के तहत 20 लाख रुपये, शिक्षा और आवास के तहत 20 लाख रुपये और सूक्ष्म ऋण के तहत 50,000ध्– रुपये तक का ऋण प्रदान करती है।
6. **उद्योगिनी योजना:** 18 से 45 वर्ष की आयु की महिला उद्यमी, जो कृषि, खुदरा और इसी तरह के छोटे व्यवसायों से जुड़ी हैं, इस योजना के तहत 1 लाख तक के ऋण के लिए पात्र हैं। और इस लोन का लाभ उठाने के लिए उसकी पारिवारिक वार्षिक आय 45,000 या उससे कम होनी चाहिए। अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधवा, निराश्रित या विकलांग महिलाओं के लिए 10,000 रुपये तक के ऋण पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
7. **सेंट कल्याणी योजना:** यह योजना एसएमई या कृषि कार्य या खुदरा व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में महिला व्यापारियों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेश की जाती है। इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। संपार्श्विक और गारंटर की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है और ब्याज दर बाजार दरों के अनुसार बदलती रहती है।
8. **महिला उद्यम निधि योजना:** यह योजना पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पेश की जाती है। यह योजना नए लघु–स्तरीय उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह मौजूदा परियोजनाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा देता है और इसकी पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष है।
9. **व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास योजना:** इस योजना का उद्देश्य ऋण प्रदान करके (एनजीओ के माध्यम से), व्यापारों, उत्पादों, सेवाओं आदि से संबंधित प्रशिक्षण के माध्यम से, विकास और परामर्श विस्तार गतिविधियाँ प्रदान करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। । ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा मूल्यांकन के अनुसार कुल परियोजना लागत का 30: तक सरकारी अनुदान शेष 70% राशि आवेदक महिलाओं को ऋण सहायता के रूप में वित्तपोषित करें।
10. **स्टार्ट–अप इंडिया :** यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्ट–अप इकोसिस्टम है, जो देश में

स्टार्ट अप के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सहायता, वित्त पोषण सहायता, प्रोत्साहन, उद्योग–शैक्षणिक साझेदारी प्रदान करता है। कुल 10000 करोड़ के कॉर्पस फंड में से 10% कॉर्पस फंड महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट–अप के लिए आरक्षित है।

11. **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमः** यह एमएसएमई को बढ़ावा देने और स्थापित करके रोजगार पैदा करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। महिलाओं को नए उद्यम स्थापित करने के लिए कार्यक्रम में सब्सिडी स्तर शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% हैं।
12. **उद्यम शक्ति पोर्टलः** सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने और व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक प्रयास है। यह लगभग 8 मिलियन भारतीय महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने, बनाने और बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करता है और व्यवसाय योजना तैयार करने, ऊष्मायन सुविधा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सलाहकार प्रदान करने, बाजार सर्वेक्षण सुविधा आदि के लिए सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 लाख रुपये की लागत वाली परियोजना शामिल है (10 लाख रुपये की लागत सेवा आधारित परियोजनाओं के लिए है)।

इन सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के अलावा, एमएसएमई मंत्रालय ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और उनके समूहों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ–साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया है। सभी कार्यक्रमों में महिला स्वामित्व वाले उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

निष्कर्ष

महिला उद्यमिता हर देश के लिए जरूरी है। यदि हम अच्छी तरह से विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान आधार पर सभी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। महिला उद्यमिता को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। महिला उद्यमी अपने और दूसरों के लिए नई नौकरियाँ पैदा करती हैं और समाज को प्रबंधन, संगठन और व्यावसायिक समस्याओं के विभिन्न समाधान भी प्रदान करती हैं। इसलिए, महिलाओं को बिजनेस लीडर और उद्यमी के रूप में स्थापित होने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना आवश्यक है।